






Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2022/41

Number of Case 1/342 Year 2024

डा. राजेश सिंह Versus खेम सिंह

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
16/06/25	<p>दिनांक 16/6/25 को पैरा 10/1 में पत्रावली पेशा।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (राजस्व प्रक) जोधपुर </p>	
16/06/25	<p>पत्रावली पेशा। गूल पत्रावली श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के फॉक 1813 दिनांक 13/6/25 के द्वारा तलब किये जाने पर वहां प्रेषित की जाती है। एकुलाथ अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करावे।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (राजस्व प्रक) जोधपुर </p>	<p style="text-align: right;">  (अधीनवादी) 16/6/25 </p>
20/08/25	<p>श्रीमान न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के फॉक : 3115 दिनांक - 20/8/25 के अनुसार पत्रावली आज दिनांक को न्यायालय अंजाम में प्राप्त हुई। इतना लिखते ही वादी भद्र बकील उपस्थित आए। वादी की ओर से बकील श्री लक्ष्मण सिंह जोधा ने बकालतनामा भद्र वादी का हार्थना पत्र बाबत "वास्ते मिसल तलबी" प्रस्तुत किया। उक्त हार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से पत्रावली आज ही पेशा पर ली गई। उक्त पक्षकारान् को सूचित किया गया। उक्त पक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित आए।</p>	<p style="text-align: right;">  Anand Singh I deubhikar by me  20/08/2025 </p>

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

CNR NUMBER 2022/41

(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

P/342/Year 2024

आनन्द सिंह

Versus

बेनासिंह व अन्य

PLS- 53, 88, 188 R.P.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	<p>वादी ने धार्धना पत्र बाबर "विज्ञां करने दाला" प्रस्तुत कर निवेदन किया कि - "वादी लोक अदालत की भावना से उन्त वाद विज्ञां करना चाहता है। उतः धार्धना पत्र पेश कर निवेदन है कि उन्त वाद सं. 41/2022 बडनवान् आनन्द सिंह बनाम् बेनासिंह व अन्य जरिअे विज्ञां निस्तारित करने का आदेश फरमावे।" वकील वादी द्वारा उन्त धार्धना पत्र की प्रति सहिवादी वकील की उपलब्ध कराई गई। वादी ने आदेशिका पर अंकन कर हस्ताक्षर किये जिसकी पहचान वकील वादी द्वारा भी गई। प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात् शामिल मिलल हो। उतः वादी का मूल वाद जरिअे विज्ञां खारिज किया जाता है। पत्रावली के तबलीकन से यह स्पष्ट है कि सकरण में सहिवादीगण आनन्द सिंह, बलवीर सिंह व भारतसिंह की ओर से काउटर बलेम प्रस्तुत किया गया है। उतः मूल वाद नम्बर से कम किया जाता है व काउटर बलेम की नये नंबर से दर्ज कर पत्रावली बाधना वाले जवाब काउटर बलेम हेतु दिनांक 16/09/2025 को पेश हो।</p>	

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर